

नम्बर व तारीख
अहमकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

1-18

बहुलाय कथेकेन वापि
वादी साक्ष्य हेतु अवसर चाहे है
पूर्व में फ्याक्ट अवसर दिया गया कि
अन्यायों हेतु एक अनिमित्त अनिमित्त
दिया जाता है मिसल तारीख 20/2/18
को पेश हो।

13/18 बहुलाय कथेकेन वापि
आज श्रीमान A.C. सा. का. प. का. हेतु
मिसल उनके सम्बन्ध तारीख 21-3-18 को
पेश हो।

48 बहुलाय कथेकेन वापि
वादी साक्ष्य हेतु अवसर चाहे है एक
अनिमित्त अवसर दिया जा रहा है कि वाद्यत
दी जाती है कि वाद्यत और दूसरे में
आवश्यक रूप से पेश करे
मिसल वापि वादी साक्ष्य हेतु
21/3/18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर,
जिला-जालोर (राज.)

18 पत्रावली आज राजस्व लोक
अदालत के मय दातला कास
पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन
किया गया वादी ने एक वाद
वाक्य हेतु निषेधाज्ञा का
वाद गस्त आशजी मांजा राजपुरा
के वसरा नं 95। रकबा 1-98
के बिना अशवाडा एवं कराये

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

एव अपनी मजरी माफिक इनिशियल जज
हुक्म का नू उपयोग परिवर्तन कर
विशेष गतय पर निर्माण नहीं करने
का पेश किया। जिस पर नू अ.
निधीयक से माँका स्थिति की
फर्ड प्राप्त की गई जो शांति
मिसल की गई। चूँकि उक्त
वाद से सम्बन्धित न्यायालय
हाजा में विभाजन खाते दारी
का वाद चल रहा है जिसका
विधि सम्मत निर्णय पारित
किया जावेगा। माँका राजपुरा
के वाद गलत आराजी क न 95।
रकबा 1.98 है और आवि भाजित
आराजी का न्यायालय हाजा
में विचारधीन वाद क 2 वाडा
का विधि सम्मत निर्णय होने
पर ल्याई निषेधाज्ञा क 2 वाडा
का निर्णय पारित हो सकेगा
अतः वाद गलत आराजी माँका
राजपुरा के क न 95। रकबा
1.98 है में सामलती आवि भाजित
आवि भाजित आराजी होने एव
माँका फर्ड अनुसार कालेदाशन


सहायक कलम जसवन्तपुरा
जिला-जा. राज

प्रश्न राम बनाम नारायण लाल

किस्म मुकदमा 119 प्रकरण संख्या 28/2014

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---------------------------------	--

का कक्ष्या संबंधी विवाद लगे
रही होने से वादी का वाद काबत
188 लाख 00 हजार 00 रुपए निवेदा
का अस्वीकार किया जाता है
निवेद्य आज दिनांक 7-5-2018 को
जो कि अदालत के मय दावता वास सुनाया
गया। मिलल फलिल सुमार इस
नम्बर ले कम है।


7/5/18

सहायक कलक्टर, जलधन्तपुरा
जिला-जालोर (राज)